

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :-श्रीमती सुशीला कुंवर

विपक्षी :-श्री वगतसिंह

किस्म मुकदमा :- 88, 188 रा.का.अधिनियम

पत्रावली संख्या :-212/24

जीसीएमएस नम्बर :-2024/471

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 05.05.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का पेश कर वाद विद्दो किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र शामिल फाईल रहे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्वयं वादीगण द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र विद्दो का पेश कर वाद को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। स्वयं वादीगण को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर स्वयं वादीगण को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि स्वयं वादीगण अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा वाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फाईल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	